सं0सं0–म0नि0–उ0 यो0–II –91/2021–22/ 55 रा0 (वि0)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 14/03/24

विषय– **राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में ''मत्स्य विपणन योजना'' के तहत् विभिन्न जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्यों के निमित्त कुल रु० 69.679 लाख (उनहत्तर लाख सड़सठ हजार नौ सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त कार्यों के निमित्त जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 81.77603 लाख (एकासी लाख सतहत्तर हजार छह सौ तीन) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में ''मत्स्य विपणन योजना'' के तहत् विभिन्न जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्यों के निमित्त कुल रु० 69.679 लाख (उनहत्तर लाख सड़सठ हजार नौ सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त कार्यों के निमित्त जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 81.77603 लाख (एकासी लाख सतहत्तर हजार छह सौ तीन) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) जीर्णोद्धार कार्य अंतर्गत व्यय की स्वीकृति निम्न रुप से दी जाती है – (राशि रु0 में)

कम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2023–24 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर
1	Renovation of Hygienic Fish Market in Shalimar, Dhurwa, Ranchi	62,26,100/– *(वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्यादेश सं0 31 रा0 (वि0) दिनांक 19.12.2022 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त)*	50,00,000/–	12,09,703/–	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल सं0–2, राँची द्वारा दिनांक 11.10.2022 को।
	कुल योगः	**62,26,100/–**	**50,00,000/–**	**12,09,703/–**	

(ख) राँची जिला अंतर्गत उपरोक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति मो0 62,26,100/– रु0 मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना अंतर्गत निर्गत राज्यादेश सं0 31 रा0 (वि0) दिनांक 19.12.2022 द्वारा प्राप्त है। किन्तु उक्त वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 50,00,000/– रु0 मात्र ही व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित किए गए। जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची के पत्रांक 151 दिनांक 08.02.2024 द्वारा एकरारनामा की राशि मो0 62,09,703.42/– रु0 मात्र के विरुद्ध की गई माँग के आलोक में शेष राशि मो0 12,09,703/– रु0 मात्र का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में इसी मद में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा।

(ग) निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रुप से दी जाती है– राशि रु0 में)

क्रम	निर्माण कार्य	प्राक्कलित / प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर
1	रिटेल फिश मार्केट, धातकीडीह, जमशेदपुर में अतिरिक्त निर्माण कार्य	69,67,900 / –	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर अंचल, राँची द्वारा दिनांक 21.04.2023 को।
	कुल योग:	**69,67,900 / –**	

3. चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय राज्यादेश सं0 11 रा0 (वि0) दिनांक 16.06.2023 द्वारा ''मत्स्य विपणन योजना'' अंतर्गत बजट शीर्ष–2405–मछली पालन में उपबंधित राशि मो0 160.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 119.20 लाख (एक करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार) रु0 मात्र की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।

4. योजनान्तर्गत इस राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा –

(क) माँग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन

(राशि लाख रू0 में)

क0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	पूर्व में स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5	6
1	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–50–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050010150010323**	40.00	39.60	0.00	0.40
2	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–50–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050078950010323**	20.00	20.00	0.00	0.00
3	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–50–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050079650010323**	60.00	59.60	0.00	0.40
4	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–50–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050079650010544**	40.00	0.00	12.09703	27.90297
	उप योग :	**160.00**	**119.20**	**12.09703**	**28.70297**

(ख) माँग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय

क0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	पूर्व में स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5	6
1	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–62–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य **53S44050010162010545**	50.00	0.00	0.00	50.00
2	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–62–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य **53S44050079662010545**	140.00	0.00	69.679	70.321
	उप योग :	**190.00**	**0.00**	**69.679**	**120.321**
	कुल योग (क) + (ख) :	**350.00**	**119.20**	**81.77603**	**149.02397**

कुल मो0 81.77603 लाख (एकासी लाख सतहत्तर हजार छह सौ तीन) रु0 मात्र।

5. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

6. इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2023–24 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची एवं जमशेदपुर होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

8. तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा।

9. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

10. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

11. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

12. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा सी0एस0–01/आर0–04/ 2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

13. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

14. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन एवं मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय अंतर्गत कुल स्वीकृत बजट मो0 200.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 193.09666 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

15. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरुप किया जाय।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

18. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 550(5)/ रॉची, दिनांक 14/03/24

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 55 रा.(प.)/ राँची, दिनांक 14/03/24

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी), एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव